79/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व अहलकार की तामील
12/9/2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 17 से 20 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया, जो शामिल मिसल हो। विप्रार्थी संख्या 17 से 20 ~~की~~ वकील की ओर से लिखित बहस पेश की गई। नोटिस शेष विप्रार्थी बावजूद रजिस्टर्ड तामीली अनुपस्थित। प्रार्थनापत्र की बहस गत पेशी पर सुनी गई थी। वकील प्रार्थी की बहस थी कि विवादित भूमि पैतृक व पुश्तैनी भूमि है, जो कि प्रार्थी के दादा पुनवाजी रामा के नाम इन्द्राज हुई और रामा के फौत होने पर विप्रार्थी संख्या 01 के नाम खातेदारी इन्द्राज हुई। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 17 से 20 विप्रार्थी संख्या 01 के [illegible] नातेदार है और विवादित भूमि में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा व विप्रार्थी संख्या 1 व 17 से 20 प्रत्येक जने का 1/6, 1/6 हिस्सा बनता है। प्रार्थी का अपने हिस्सेनुमा विवादित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा [illegible] इसी खसरा नम्बर 4183/3794 में से 30/190 हिस्सा दर्ज किया हुआ,	नाथू रा.

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:08:50 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
इस [illegible] स्थित कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा निहित होने के पश्चात भी विप्रार्थी संख्या 01 का हिस्सा विप्रार्थी संख्या 18 से 20 को नामान्तरण दर्ज कर दिया. जबकि विप्रार्थी संख्या 01 को कोई स्वतः स्वत्व निहित नहीं था। क्योंकि पुश्तैनी भूमि में विप्रार्थी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा है सम्पूर्ण भूमि को बेचान अथवा तकसीम करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके उपरांत भी तकसीम कर दी गई। उक्त कारण पर विप्रार्थी पक्ष प्रार्थी को कब्जाशुदा भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश को बरकरार रखा निर्णय तक कायम किया जावें। विप्रार्थी संख्या 01 ने निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन-पत्र पेश किया है प्रार्थी के हक हिस्से [illegible] जमीन प्राप्त कर ली गई है [illegible] में वह होने ~~होने~~ के कारण [illegible] दोनों में रहते हुए 2 बीघा जमीन [illegible] से ली गई है और इसी विप्रार्थी संख्या 18 से 20 को निहित किये है जो [illegible] भूमि [illegible] की गई है। अतः प्रार्थी का आवेदन-पत्र खारिज किया जावें।	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:08:50 IST
Reason: SelfAttested

इनके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 17 से 20 की बहस रही, कि प्रार्थी की ओर से ओर आवेदन-पत्र गलत तथ्यों के आधार पर लाया है, जो कि काल्पनिक तथ्यों के आधार पर होने के कारण निरस्त योग्य है। क्योंकि विप्रार्थी संख्या 01 के प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 17 से 20 के अलावा कमला देवी भी वारिस है। लेकिन प्रार्थी ने जान बूझकर कमलादेवी को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया। विवादित भूमि में प्रार्थी द्वारा 1/6 हिस्सा मांगा गया है, जो कि वास्तविक रूप से 1/7 हिस्सा बनता है क्योंकि खसरा नम्बर 4183/3794 रकबा 9-10 बीघा में विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा 04 बीघा भूमि मंजूदेवी पत्नि भंवरलाल (विप्रार्थी संख्या 2 व 17) को बख्शीश भूमि दी गई शेष 5-10 बीघा भूमि में से 1-10 बीघा भूमि प्रार्थी द्वारा बख्शीश प्राप्त की तथा शेष रकबा 04 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 18 से 20 को बख्शीश दी गई। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 की [illegible] का गलत फायदा उठाकर खसरा [illegible] 4227/4203 की भूमि में 3-06 बीघा भूमि प्राप्त कर ली, जो रिश्ते के आधार प्राप्त की है। इस प्रकार प्रार्थी, विप्रार्थी का हिस्सा हड़पने की नीयत

सहायक
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh So
Date: 2022.10.05 19:08:50 IS
Reason: SelfAttested

से यह वाद लाया है। इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन-पत्र कानूनी नुक्तों के आधार होने पर होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड मय दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि प्रथम दृष्टया यह तो तय है, कि विवादित भूमि पुश्तैनी है। और पुश्तैनी भूमि में पुत्र-पुत्रियों का कानूनन बराबर हक हिस्सा निर्धारित होता है। अतः तथ्य प्रार्थी द्वारा 46 हिस्सा विवादित भूमि में खातेदारी घोषणा व वाद बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की हुक्म इस्तदुआ चाही है, जो मूलवाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी हक प्राप्त करने का अधिकार है अथवा नहीं! लेकिन यह तो तय है, कि प्रार्थी द्वारा स्वच्छ हाथों से वाद/आवेदन नहीं लाया है, क्योंकि विपक्षी संख्या 01 के संतान में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 18 से 20 की [illegible] कमलादेवी भी [illegible] वकील द्वारा बताते कहाँ है की कोई सबूत पेश नहीं किया गया। अतः

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:08:50 IST
Reason: SelfAttested

तक भूमि बेचान कब्जा सुपुर्दगी नहीं करने का प्रश्न है, तो प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में से खसरा नम्बर 4183/3794 में से 1.10 बीघा भूमि दिनांक 28.4.2009 एवं खसरा नम्बर 4207/4203 में से 3-06 बीघा भूमि ~~[illegible]~~ की वर्ष 2009 जरिये हिबानामे संख्या 01 से कब्जा प्राप्त कर ली गई। अब प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में हिस्सा का कब्जा काबिज हिस्सा प्राप्त किया है, एवं बाकी की हिबानामे संख्या 18 से 20 द्वारा भी कब्जा जरिये अमीन हिस्सेदारान प्राप्त की है कब्जा नहीं। उक्त बिन्दुओं का निर्धारण ट्रायल में साक्ष्य लेने के आधार पर तय होगा। लेकिन हस्तगत प्रकरण में जारी स्थगन आदेश को आगे और चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है, क्योंकि सहखातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अपूरणीय क्षति होने का [illegible] भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं [illegible] उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट [illegible] प्रार्थी का आवेदन-पत्र निरस्त योग्य है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:08:50 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व ता अहकाम जो इ की तामील में ज
लिहाजा प्रार्थी का आवेदन-पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 23.3.2022 को निरस्त किया जाकर, प्रार्थी का आवेदन-पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:08:50 IST
Reason: SelfAttested